16/11/22 वकलाय फरीकैन उपस्थित।
प्रार्थना पत्र की बहस सुनी गई।
मूल वाद में बाईं [illegible] ००८
आ०20नि०18 प्राथमिक डिक्री जारी कर
विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया है।
वर्तमान में प्रथम दृष्टया मामला
प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने यह
आवेदन पोषणीय नहीं होने से
इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली [illegible] [illegible] होकर
शामिल [illegible] हो।

[signature]
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर